उद्यमिता के बढ़ते अवसर

–शिशिर सिन्हा

गांव की कहानी अब बस किसानी तक सीमित नहीं, बल्कि शहरी और अर्ध–शहरी इलाकों की तरह उद्यमिता के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप के लिए ज़रूरी भी हो गया है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। मसलन, गांवों में उद्यमिता के लिए खास ज़रूरतें क्या हैं, क्या गांव उद्यमिता के लिए तैयार हैं और क्या गांवों में उद्यमिता के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रस्तुत लेख में लेखक ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया है।

पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कुछ खास बातों पर नज़र डाल लेते हैं:

- 2011 की जनगणना के शुरुआती नतीजों पर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की ओर से जारी ब्यौरे के मुताबिक कुल आबादी में ग्रामीण आबादी की हिस्सेदारी 68.84 फीसदी है।
- 2015–16 की कृषि जनगणना के मुताबिक देश में किसानों की कुल संख्या 14.6 करोड़ से कुछ ज़्यादा है।
- कुल किसानों में सीमांत किसान (जोत का आकार एक हेक्टेयर से कम) की संख्या 10 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, जो कुल किसानों की संख्या का 68.45 फीसदी है।
- कुल किसानों में छोटे किसानों (एक हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन दो हेक्टेयर से कम) की संख्या करीब ढ़ाई करोड़ है, जो कुल किसानों की संख्या का 17.62 फीसदी है।
- कृषि मंत्रालय की वित्त वर्ष 2020–21 की सालाना रिपोर्ट बताती है कि कुल कार्यबल का 54.6 फीसदी कृषि व सहयोगी गतिविधियों में लगा है।
- वित्त वर्ष 2021–22 की आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि की हिस्सेदारी 18.8 फीसदी है।

आंकड़े वकालत कर रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब महज खेतीबाड़ी ही जीविका का माध्यम नहीं हो सकती है। हालांकि पशुपालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां तो चल ही रही हैं, लेकिन क्या जितनी आबादी और कार्यबल कृषि पर निर्भर है, उसके हिसाब से यह काफी है? जवाब होगा, नहीं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि गांवों में उद्यमिता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाए।

अब आपका अगला सवाल होगा कि गांवों में किस तरह की उद्यमिता की संभावना है? यहां पर आप कुटीर व लघु उद्योग जैसे मसाले, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, मिट्टी का सजावटी सामान, पारम्परिक चित्रकारी वगैरह की तो बात कर ही सकते हैं, वहीं मझोले और थोड़े बड़े स्तर पर ग्रामीण पर्यटन और यहां तक कि स्थानीय भाषाओं के बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेंटर खोलना भी संभव हो सकेगा। इस बात को आगे बढ़ाने के पहले उद्यमिता की कुछ खास बातों पर चर्चा करना ज़रूरी होगा।

उद्यमिता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों की बदौलत संभावनाओं का दोहन करने का जोखिम उठाता है, बाज़ार की ज़रूरतों को समझते हुए सामान के उत्पादन या सेवाएं मुहैया कराने में जुटता है, नयी तकनीक का इस्तेमाल करता है और नवाचार अमल में लाता है। इन सबका लक्ष्य मुनाफा कमाना है जिससे आगे के लिए पूंजी का निर्माण हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम तथ्य है सम्पर्क, यानी किस तरह कच्चा माल मुहैया कराने वाले या श्रम तक पहुंचे और फिर जब सामान तैयार हो जाए या फिर सेवा मुहैया कराने की स्थिति बने तो बाज़ार से कैसे जुड़ा जाए। सच तो यह है कि सम्पर्क उपलब्ध नहीं हो तो उद्यमिता असमय दम तोड़ देती है।

ध्यान रहे कि यहां सम्पर्क का मतलब एक तरफ जहां सड़क मार्ग से गांवों को जोड़ना है वहीं दूसरी तरफ, दूरसंचार का प्रसार करना है जिससे सम्पर्क और तेज हो सके। इन सबके साथ ही रेलमार्ग और यहां तक की वायुमार्ग से भी सम्पर्क और मज़बूत करना है। इन सब बातों को सरकार ने समझा है और उसका असर विभिन्न योजनाओं की प्रगति में देखा जा सकता है। आइए, नज़र

गावों में उद्यमिता से स्वरोज़गार का प्रसार

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण गरीबों को गैर–कृषि क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) को चला रहा है। परियोजना की परिचालन इकाई ब्लॉक है। स्वीकृत निधियों से एक ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 2400 उद्यमों को सहायता दी जा सकती है। एक ब्लॉक के लिए बजट 597.76 लाख रुपये का है। एसवीईपी के तहत अभी तक करीब दो लाख उद्यमों को सहायता दी गई है।

देशभर में 588 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) चल रहे हैं। बैंकों की मदद से चलाए जा रहे इन संस्थानों की बदौलत ग्रामीण बेरोज़गर युवाओं को कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। मकसद है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये युवा स्वरोज़गार कार्यक्रम शुरू करें, जिससे औरों को रोज़गार देने का रास्ता भी बन सके। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि योजना के तहत अब तक 40.31 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 28 फरवरी, 2022 तक 28.40 लाख युवाओं को नियोजित किया गया है।

डालते हैं कि सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों में सरकार ने अब तक क्या–क्या किया है और आगे की क्या योजना है:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में सामान की आवाजाही का 70 फीसदी से भी ज़्यादा सड़क मार्ग के ज़रिए होता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण 'प्वाइंट–टू–प्वाइंट' यानी दो स्थानों के बीच सीधे सम्पर्क है और ग्रामीण इलाकों के लिए यह तथ्य और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सड़क की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए वैसे तो सड़क की हर योजना की अपनी अहमियत है, लेकिन यहां पर खासतौर पर ज़िक्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का करना होगा जिसकी बदौलत गांव से गांव के बीच का सम्पर्क तो मज़बूत हुआ ही, गांव को राजमार्ग के ज़रिए देश के अलग–अलग हिस्सों से जोड़ने की भी व्यवस्था बनी।

आखिकार क्या है यह योजना, जो अब तक तीन चरणों (पीएमजीएसवाई–I, पीएमजीएसवाई–II, पीएमजीएसवाई–III) में फैल चुकी है? केंद्र सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली और उत्तर–पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई–I की शुरुआत की। चयनित वामपंथी उग्रवाद ब्लॉकों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में भी सम्पर्क प्रदान किया जाना था। ऐसी कुल 1,84,444 बस्तियों में से केवल 2,432 बस्तियां शेष हैं। कुल स्वीकृत 6,45,627 किलोमीटर लंबी सड़कों और 7,523 पुलों में से 20,950 किलोमीटर लंबी सड़कों और 1,974 पुलों के कार्यों को पूरा करना शेष है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते वर्ष नवम्बर में पूरा करने की अनुमति दे दी।

पीएमजीएसवाई–II के तहत, 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन की परिकल्पना की गई थी। कुल 49,885 किलोमीटर लंबी सड़कें और 765 एलएसबी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल 4,240 किलोमीटर लंबी सड़कों और 254 पुलों का कार्य शेष हैं। नवम्बर 2021 में मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद यह कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद है।

उत्तर–पूर्व और पर्वतीय राज्यों में कोविड लॉकडाउन, ज़्यादा समय तक बारिश होने, सर्दी, वन संबंधी मुद्दों के कारण पीएमजीएसवाई–I और II के तहत अधिकांश कार्य लंबित रह गए। ये राज्य केंद्र सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते रहे हैं। अब बचे हुए काम को पूरा करने के लिए सितम्बर 2022 तक का समय रखा गया है।

सरकार ने 2019 में मार्च, 2025 तक 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को पूरा करने के लिए पीएमजीएसवाई–III शुरू की। पीएमजीएसवाई–III के तहत अब तक लगभग 72,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 17,750 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई की सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2021–22 से 2024–25 तक राज्यों के हिस्से सहित कुल 1,12,419 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

जीआईएस डाटा

बेहतर सम्पर्क उद्यमिता में भी सहायक हो, इसके लिए सरकार ने फरवरी 2022 में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा जारी किया। इसमें आठ लाख से भी अधिक ग्रामीण सुविधाओं, 10 लाख से भी ज़्यादा बस्तियों और 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों के लिए जीआईएस (Geographic Information System) डाटा उपलब्ध है। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए गए डाटा से स्टार्टअप्स, उद्यमियों, व्यवसायों, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों और अन्य सरकारी विभागों के लिए उत्पाद बनाने, अनुसंधान करने, निवेश की योजना बनाने, सेवा वितरण में सुधार और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

दूरसंचार

तकनीक के इस दौर में सम्पर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर गांव दूरसंचार से जुड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतनेट नाम से एक विशेष योजना शुरू की गई। संचार मंत्रालय की 2021 की सालाना रिपोर्ट बताती है कि देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फ्लैगशिप भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से एक उप–योजना के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना, उनकी उद्यम स्थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है। एसवीईपी उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता और व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण और स्थानीय सामुदायिक कैडर बनाते समय स्वरोज़गार अवसरों को उपलबध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।

एसवीईपी ग्रामीण स्टार्टअप्स की तीन प्रमुख समस्याओं–वित्त, इन्क्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निवारण करता है। एसवीईपी के तहत गतिविधियों को रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका एक प्रमुख क्षेत्र समुदाय संसाधन व्यक्तियों–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) को विकसित करना है, जो स्थानीय है और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने में ग्रामीण उद्यमियों की मदद करता है। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र एसवीईपी ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) को बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, एसवीईपी ने संस्थान संरचनाओं को स्थापित करने, मज़बूत बनाने के लिए ग्रामीण समुदायों को प्रेरित करने, बीआरसी सदस्यों के लिए व्यवसाय प्रबंधन पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निवेश करने, सीआरपी–ईपीएस का पूल बनाने और उन्हें गहन प्रशिक्षण देने, उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के साथ–साथ नए उद्यमों की स्थापना पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

इन वर्षों में एसवीईपी ने प्रभावशाली प्रगति की और अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यवसाय सहायता सेवाओं और पूंजी प्रेरित करने के बारे में सहायता प्रदान की। अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार सामुदायिक संसाधन व्यक्ति–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) लगभग 2000 प्रशिक्षित कैडर ग्रामीण उद्यमियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।, लगभग एक लाख उद्यमी उनसे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद एसईवीपी का तकनीकी सहयोगी है।

एसवीईपी में बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका

पूरे ग्रामीण भारत में स्थानीय मार्किट/हाट/सप्ताह में एक या दो बार संचालित होता है। यह बाज़ार एक आर्थिक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां कृषि उत्पाद, अनाज, सब्जियां, फल, जड़ी–बूटी, कुक्कुट तथा आवश्यक वस्तुएं जैसे किराने का सामान, फैंसी आइटम, कपड़े, बर्तन, जूते, मसाले आदि का कारोबार किया जाता है। एक विशिष्ट ग्रामीण हाट ज़्यादातर स्वदेशी, लचीला और बहुस्तरीय संरचना है जो विभिन्न प्रकृति की आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करता है। इन स्थानीय बाज़ारों की स्थापना ने एसवीईपी उद्यमियों को मांग आधारित उत्पादन लेने, अपने उद्यम का प्रचार करने और आय के अवसरों को बढ़ाने के बारे में प्रेरित किया है।

गया जिसमें एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल कर लिया गया है।

2021 के पहले दस महीनों के दौरान कुल 17,232 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है, जिनमें से 16,344 जीपी ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए और 888 जीपी सेटेलाइट मीडिया के जरिए जोड़े गए हैं। पहली नवम्बर 2021 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट चरण–द्वितीय के तहत जोड़ी जाने वाली शेष ग्राम पंचायतों में से कुल 1,79,247 ग्राम पंचायतों को 5,52,514 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर जोड़ा जा चुका हैं, जिनमें से 1,61,870 ग्राम पंचायत सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 4218 ग्राम पंचायतों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है जिससे कुल सेवा के लिए तैयार जीपी की संख्या 1,66,088 हो गई है।

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार भारतनेट का दायरा अब देश के सभी गांवों तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2021 को सरकार ने देश के 16 राज्यों के लगभग 3.61 लाख गांवों (1.37 लाख ग्राम पंचायतों सहित) को शामिल करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रणनीति को मंज़ूरी दी।

ई–कॉमर्स

दूरसंचार के जरिए ग्रामीण उद्यमियों को जहां दूर–दूर तक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, वहीं इसका इस्तेमाल कर ई–कॉमर्स वेबसाइट की बदौलत देश–दुनिया की सीमा लांघी जा सकेगी। शायद कुछ इसी सोच के साथ बीते नवम्बर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानी–मानी ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत निजी उद्यम की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अहम भूमिका होगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) कार्यक्रम के तहत खासतौर से महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार व स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और उनको ई–कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह साझेदारी डीएवाई–एनआरएलएम के स्वरोज़गार और उद्यमिता के लिए

एनएसआईसी की मदद से बने उद्यमी

नजीर बाग, कानपुर के रहने वाले श्री एहसान उल्लाह ईस्ट वेस्ट टेनर्स नामक एक इकाई के मालिक हैं, जो सभी प्रकार के चमड़े के सामान, जूते, वस्त्र और टैक्सटाइल वस्तुएं आदि बनाती है। टेंडर मार्केटिंग स्कीम के तहत एनएसआईसी की सहायता से उनकी इकाई का सालाना कारोबार अब 15 करोड़ रुपये हो गया है। एनएसआईसी लिमिटेड, कानपुर ने उनकी इकाई को पंजीकृत किया और 'ईडब्ल्यूटी' ब्रांड नाम के तहत उनके उत्पादों के वाणिज्यिक विपणन के लिए सभी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा किया है। उन्होंने अपनी यह इकाई 1999 में 1 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ शुरू की थी। उनका उद्देश्य उद्योगों में रोज़गारों को बढ़ाना और सस्ते मूल्य, अच्छी गुणवत्ता और समय पर शिपमेंट और डिलीवरी के साथ सर्वोत्तम सेवा प्रदान करके ग्राहकों की संतुष्टि अर्जित करना है।

एहसान उल्लाह

सुजाता

मधुबाला

सुश्री सुजाता हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली हैं। सुजाता ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में एनएसआईसी के ट्रेनिंग सेंटर से एक वर्ष के लिए फैशन डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस दौरान कटिंग, टेलरिंग तथा सिलाई से संबंधित अन्य सभी तकनीकों को सीखा है। इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने शालू बुटीक नाम से अपना खुद का वस्त्रालय खोला और प्रति माह 10,000 रुपये तक की आमदनी करने लगीं।

उनका कहना है कि, "मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स एनएसआईसी के प्रशिक्षण केंद्र से पूरा किया है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र में उम्दा किस्म की सुसज्जित सिलाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे मुझे बेहतर तरीके से काम करने में सहायता मिली है। मैं अब हर प्रकार के डिज़ाइनर सूट सिलने में सक्षम हूं। सुजाता ने कहा कि मैं प्रति माह 10,000 रुपये कमाती हूं और मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं एनएसआईसी की बेहद आभारी हूं।

सुजाता की ही तरह एनएसआईसी ने मधुबाला को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। सुश्री मधुबाला भी मंडी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की एनएसआईसी के तहत मधुबाला ने एक साल का फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स पूरा किया और कटिंग तथा टेलरिंग का काम सीखा।

इससे उन्हें अपना बुटीक स्थापित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद मिली। मधुबाला का कहना है कि मैंने एनएसआईसी प्रशिक्षण कोर्स के तहत फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कटिंग और टेलरिंग आदि के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इससे मुझे बहुत मदद मिली है और अब मेरा अपना बुटीक है, जिसे मधुबाला बुटीक कहा जाता है। मधु भी लगभग 10,000 रुपये प्रति माह कमा रही हैं।

एनएसआईसी के ओखला, नई दिल्ली स्थित तकनीकी सेवा केंद्र में प्रशिक्षण लेते छात्र-छात्राएं

स्रोत : पीआईबी

ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है।

यह सहमति एमओयू फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका मकसद कुशल शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के समुदाय, जो पर्याप्त सुविधा से वंचित रहे हैं, उनको फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाज़ार की पहुंच के साथ–साथ ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। फ्लिपकार्ट समर्थ ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, बिज़नेस इनसाइट्स और वेयरहाउसिंग के सहयोग के साथ समयबद्ध पूरी सेवाएं प्रदान करके स्थानीय समुदायों की कारोबारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। इससे व्यवसाय और व्यापार समावेश को बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर मिलेगा और बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने तथा उसे बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एमओआरडी के डीएवाई–एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत देश के 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 706 ज़िलों के 6768 ब्लॉकों में स्थित 71 लाख से अधिक एसएचजी में 7.84 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। मिशन के तहत एचएचजी और उनके संघों में विभिन्न वर्ग और जाति की गरीब महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व है जो अपने सदस्यों को उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक विकास सेवाएं प्रदान करती हैं। आजीविका संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के प्रयास के तौर पर एनआरएलएम द्वारा राज्य और राष्ट्रीय–स्तर पर इन एसएचजी द्वारा निर्मित ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले, सरस गैलरी और खुदरा दुकानों, राज्य के स्वामित्व वाले ऑनलाइन ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म व अन्य वाणिज्यिक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम को 2019 में एक स्थायी और समावेशी मंच के रूप में लांच किया गया था जिससे देश में पर्याप्त सुविधाओं से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बेहतर अवसर व आजीविका कारोबार में सहयोग किया जाए। फ्लिपकार्ट समर्थ इस समय पूरे भारत में 9,50,000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की आजीविका में मदद कर रहा है, और लगातार अधिक से अधिक विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा है।

किसान रेल

बात सम्पर्क की चली हो तो यह रेल के बगैर अधूरी है। केंद्रीय बजट 2020–21 में की गई घोषणा के अनुपालन में, भारतीय रेलवे द्वारा उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से खराब होने वाले और कृषि–उत्पादों (फलों, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित) को खपत या कमी वाले क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित करने हेतु किसान रेल ट्रेनों का शुभारंभ किया गया।

किसान रेल कृषि और उसकी सहयोगी गतिविधियों जैसे पशुपालन या बागवानी आधारित उद्यमिता को बाज़ार से जोड़ने का अहम माध्यम है। किसान रेल योजना के तहत देवलाली (महाराष्ट्र) और दानापुर (बिहार) के बीच पहली रेल को रेल (तत्कालीन) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि और कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 7 अगस्त 2020 को हरी झडी दिखायी गई। किसान रेल का लक्ष्य किसानों/कृषि आधारित उद्यमियों को भारतीय बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करना है।

किसान रेल की खास बातें

- उत्पादन अथवा अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों में फल, सब्जियां, मांस, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम बनाती है।
- आवाजाही का शीघ्र संचालन न्यूनतम क्षति को सुनिश्चित करता है।
- दूर, बड़े और अधिक आकर्षक बाज़ारों तक पहुंच बनाने के लिए किसानों को विशाल रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
- कम उपज वाले छोटे किसानों को भी बिना किसी बिचौलिए की सहायता के अपने माल के परिवहन में मदद करने के लिए बहु सामग्री, बहुप्रेषक, बहुप्रेषिती, बहु ठहराव, समयबद्ध सारणी आधारित ट्रेनों की अवधारणा के आधार पर संचालित करना।
- बुक की जा सकने वाली मात्रा की कोई न्यूनतम सीमा नहीं, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी बड़े और दूर के बाज़ारों तक पहुंच बना सकें।
- परिवहन समय और लागत में कमी के कारण अंतिम उपभोक्ताओं (बड़े शहरों और खपत केंद्रों पर) को सस्ते दामों पर ताज़ा उत्पाद मिलता है।

ऐसी ही कई पहलों के माध्यम से गांव–गांव सम्पर्क विकसित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को बाज़ार तक पहुंचने में खासी मदद मिले। एक और बात, सड़क मार्ग तथा रेलमार्ग विकसित होने से वायुमार्ग के जरिए भी विदेशी बाज़ारों से जुड़ने में मदद मिल रही है। ताज़ा उदाहरण लीची और आम के निर्यात को लेकर है। गांवों में अब खेतीबाड़ी ही नहीं उद्यमिता हेतु भी संभावनाओं के द्वारा खुले हैं। विपरीत परिस्थितियों की वजह से ग्रामीणों में जोखिम लेने की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है। उद्यमिता तभी आगे बढ़ेगी और मज़बूत होगी, जब देश–दुनिया के बाज़ार से सम्पर्क और बेहतर हो। साथ ही, उद्यमिता गांवों में छिपी हुई बेरोज़गारी को खत्म करने और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराने का माध्यम भी है जिससे पलायन पर भी लगाम लग सकती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल: hblshishir@gmail.com